"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2012—पौष 10, शक 1934

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम 1957 का 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 29 की अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(देखिए नियम 29)

रायल्टी की दरें

स. क्र.	खनिज	दरें
(1)	(2)	(3)
1.	आकारीय पत्थर-ग्रेनाईट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लैब्स एवं टाईल्स बनाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है :—	
	(क) काला रंग	1500/- प्रति घ.मी.
	(ख) अन्य रंग	500/- प्रति घ.मी.

(1)	(2)	(3)
2.	संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लैब्स एवं टाईल्स बनाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है.	750/- प्रति घ.मी.
3.	अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर	350/- प्रति घ.मी.
4.	फ्लैगस्टोन प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फ्लोरिंग के लिए किया जाता है	103/- प्रति घ.मी.
5.	साधारण रेत, बजरी	20/- प्रति घ.मी.
6.	मुरुम	20/- प्रति घ.मी.
7.	पत्थर :— (क) बोल्डर (ख) गिट्टी, रोडमेटल (ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	103/- प्रति घ.मी.
8.	मिट्टी-ईट एवं टाईल्स बनाने के लिए	20/- प्रति घ.मी.
9.	अन्य गौण खनिज	40/- प्रति घ.मी."

2. ये संशोधित दरें दिनांक 1 जनवरी, 2013 से प्रवृत्त होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-29/2012/12, दिनांक 31-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

Raipur, the 31st December 2012

NOTIFICATION

No. 7-29/2012/12.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further

amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For Schedule-III of Rule 29, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III
(See rule 29)

RATES OF ROYALTY

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite and other igneous and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimension :—	
	(a) Black colour	1500/- per cu.mt.
	(b) Other colour	500/- per cu.mt.
2.	Marble which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimension.	750/- per cu.mt.
3.	Marble stone for other purpose	350/- per cu.mt.
4.	Flagstone natural sedimentary rock which is used for flooring	103/- per cu.mt.
5.	Ordinary Sand, bajri	20/- per cu.mt.
6.	Murrum	20/- per cu.mt.
7.	Stone :— (a) Boulder (b) Gitti, roadmetal (c) Dressed stone, Khanda, Dhoka	103/- per cu.mt.
8.	Soil-for making bricks and tiles	20/- per cu.mt.
9.	Other minor minerals	40/- per cu.mt."

2. These amended rates shall come into force from the date 1st January, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.